न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—पवन कुमार (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः—05 / 2020

रूकमा पत्नी भोलाराम जाति जाट निवासी चक 5 एसजेएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)।

— प्रार्थी

बनाम्

1. बीरबल पुत्र भोलाराम जाति जाट निवासी चक 5 एसजेएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)।

——अनावेदकगण / अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

::निर्णय:: **दिनांकः—10.03.2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदिका के नाम से चक 5 एसजेएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—14 पत्थर सं.—253 / 386 का किला नम्बर 11ता24 प्रत्येक सालम कमाण्ड 25 / 1 का 0.277 हैक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अनावेदक बीरबल के धारण में चक 5 एसजेएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—14 पत्थर सं.—253 / 386 का किला नम्बर 1ता4 प्रत्येक सालम कमाण्ड, 5 / 1 का 0.278 हैक्टर कमाण्ड व 5 / 2 का 0.025, 6 / 1 का 0.228 कमाण्ड व 6 / 2 का 0.025 हैक्टर खाला, 7ता14 प्रत्येक कमाण्ड 15 / 1 का 0.278 हैक्टर कमाण्ड व 15 / 2 का 0.025, 16 / 1 का 0.227 कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि है जो अनावेदक के अधिकार, अधिपत्य व कब्जा काश्त में है। उक्त कृषि भूमि चक 5 एसजेएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नम्बर 14 पत्थर सं.—253 / 386 की कुल 3.036 हैक्टर में अनावेदक के अधिकार व अधिपत्य की कृषि भूमि की उक्त कुल 3.289 के किला नम्बर 4,7,14 प्रत्येक में से 2—2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। जिसे स्वीकृत किया जावे जो रास्ता प्रार्थीया की कृषि भूमि के किला नं.—17 तक पहुँचता है। चाहा गया रास्ता स्वीकृत होने से प्रार्थीया अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आ जा सकेगी तथा जो रास्ता किला नं.—1,2,3 के साथ—साथ चल रहे रास्ता आम से जुड़ जाऐगा जो किला नम्बर 4,7,14 का रास्ता मौका पर चालू है। जिसे प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि में आसानी से आवागमन कर सकेंगे। उक्त रास्ता ही पूर्व में पिछलें करीब 30—35 वर्षो से चालू है लेकिन अनावेदक उक्त चले रहे रास्ता से प्रार्थीया का आवागमन बाधित करने के प्रयासरत है। प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि में आने जाने के लिए वर्तमान में कोई मार्ग नही है। प्रार्थीया ने अपनी उक्त कृषि भूमि के लिए उक्त अनावेदक जसवीर सिंह से अरसा पांच दिन पूर्व नया मार्ग बनाने / स्वीकृत करवाने के लिए आग्रह किया तो वह स्पष्ट इंकार हो गया और स्पष्ट रूप से धमकी दी की वह प्रार्थीया को उनकी कृषि भूमि आवागमन के लिए अपनी भूमि के किला नम्बर 4,7,14 में से कोई रास्ता नही देगा। बल्कि जो रास्ता चल रहा है उसे शीध्र ही बंद कर देगा। अतः वांछित रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता का रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश प्रदान किये जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अनावेदक को तलब किया गया। अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह ने वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीया को अपने खाता की उक्त भूमि में आवागमन के लिए पर्याप्त रास्ता उपलब्ध [illegible] प्रार्थीया अपनी उक्त कृषि भूमि में आवागमन कर रही है जिससे उससे किसी प्रकार की [illegible] नहीं है। यहाँ यह दर्ज करना उचित होगा कि प्रार्थीया मे मन अनावेदक की कृषि भूमि [illegible] तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—14 पत्थर सं.—253 / 386 के किला [illegible] 2—2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवान चाहती है जबकि किला नम्बर 14 में मन अप्रार्थी की ढाणी [illegible] हुई है इसके अलावा अप्रार्थी यहाँ यह भी स्पष्ट करता है कि पत्थर सं.—253 / 386 की कृषि भूमि के किला नम्बर 5,6,15 में पूर्व से ही घरेलू रास्ता है जो मौका पर चालू है जिससे प्रार्थीया व अप्रार्थी आवागमन कर रहे है तथा उक्त रास्ता में मन अप्रार्थी द्वारा कभी भी व्यवधान पैदा नहीं किया है। अब अगर प्रार्थीया के किला नम्बर 4,7,14 में 2—2 बिस्वा रास्ता और स्वीकृत करके चालू कर दिया जाता है तो इससे मन अप्रार्थी की खातेदारी भूमि रास्तों में ही अवाप्त होकर कम हो जावेगी और रास्ता में मन अप्रार्थी की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.13 18:14:49 IST
Reason: SelfAttested

कुतरफाड हो जावेगी जिससे काश्त व सिंचित करना असंभव हो जाएगा। जिससे मन अप्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रार्थीया मन अप्रार्थी की खातेदारी भूमि के किला नम्बर 4,7,14 मे और रास्ता स्वीकृत करवाने का कतई अधिकारी नहीं है। प्रार्थीया को रास्ता की कतई आवश्यकता नही है क्योंकि प्रार्थीया मन अप्रार्थी की माता है पूर्व मे जमीन संयुक्त थी और उसी अनुरूप ही रास्ता किला नम्बर 5,6,15 मे घरेलू रास्ता चालू है जिसका उपयोग प्रार्थीया आवागमन के लिए कर रही है।

प्रकरण में तहसीलदार अनूपगढ से रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थीया के रकबा तक पहुँचने तक बीच मे अप्रार्थी बीरबल राम के दो बीघा पड़ते हैं। वर्तमान में प्रार्थीया के रकबा तक पहुँचने हेतु चालू या बंद कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। पूर्व में प्रार्थीया अप्रार्थी की ढाणी तक चालू रास्ते से होते हुए अपने खेत तक पहुँचती थी। अतः स्वीकृत रास्ते से किला नं.–3 व 8 से होकर कुल 2 बीघा रास्ता पहुँचा जा सकता है। इस लघुतम मार्ग से आवेदिका और अनावेदक दोनों की ढाणी तक पहुँच मार्ग मे न्यूनतम भूमि रास्ता हेतु उपयोग में आ सकेगी। वर्तमान में मौका पर चालू रास्ता किला नं.–5,6,15 से अप्रार्थी की ढाणी किला नं.14 में पूर्णतया व किला नं.–15 तक ढाणी होने के कारण आगे रास्ता बंद है। आवेदिका द्वारा प्रस्तावित रास्ता से अपने किला नं.–17 तक पहुँचने में 3 बीघा रास्ता स्वीकृत करना होगा। परन्तु आवेदिका के पास किला नं.–13 भी है अतः स्वीकृत रास्ते से किला नं.–3 व 8 से होकर कुल 2 बीघा रास्ता स्वीकृत करने से आवेदिका के रकबा तक निकटतम/लघुत्तम मार्ग से आवेदिका और अनावेदक दोनों की ढाणी तक पहुँच मार्ग मे न्यूनतम भूमि रास्ता हेतु उपयोग में आ सकेगी। अतः निकटतम/लघुत्तम मार्ग किला नं.–3 व 8 (किला नं.–4 व 7 के चिपता) अंकित किया गया है।

तदपंरात बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वांछित रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया तथा यह भी निवेदन किया कि तहसीलदार अनूपगढ द्वारा प्रार्थी की भूमि के कोई मार्ग विद्यमान नहीं होने एवं वांछित मार्ग के अत्यान्तिक आवश्यकता का, लघुत्तम व सुगम होने की रिपोर्ट दी है अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वांछित मार्ग स्वीकृत किया जावे।

अंततः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थीया रूकमादेवी की कृषि भूमि को कोई स्वीकृत रास्ता नहीं लगता है एवं उक्त बाबत् रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता होने के कारण, लघुत्तम होने के कारण एवं केवल जोत के सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं होने के कारण स्वीकृत किया जाना समीचीन है। उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत इस न्यायालय को किसी भी काश्तकार को अन्य काश्तकार की भूमि से रास्ता खेत स्वीकृत करने की शक्तियाँ प्राप्त होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश ::

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251"क" राज.काश्त. अधिनियम 1955 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की कृषि भूमि वाके चक 5 एसजेएम तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–14 पत्थर सं.–253/386 का किला नम्बर 11ता13 व 17ता25 कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन के लिए रास्ते की आवश्कता को परमावश्यक मानते हुए एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हो जाने के आधार पर अनावेदक की कृषि भूमि चक 5 एसजेएम तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–14 पत्थर सं.–253/386 का किला नं.–3 व 8 (किला नं.–4 व 7 के चिपता) में 2–2 बिस्वा चौड़ाई का रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता की एवज में आयी भूमि के बदले में अप्रार्थी को भुगतान करने हेतु राज.काश्त.(सरकारी) नियम, 1955 की धारा 70 की उपधारा–1 के अधीन संदेय प्रतिकर (मुआवजे) की राशि राज.स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी.एल.सी. [illegible] कार्यालय, अनूपगढ में जमा करवाने के आदेश प्रार्थी को दिये जाते है एवं उक्त [illegible] राशि जमा होने के उपरान्त तहसीलदार अनूपगढ स्वीकृत रास्ते का राजस्व रिकार्ड [illegible] अप्रार्थीगण को प्रतिकर राशि का भुगतान उनके रास्ता में आयी भूमि के [illegible] सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.13 18:14:49 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ